शोध-सारांश

भारत के पास अपार प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है। प्रकृति ने संपूर्ण विश्व को विशाल प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराया है। इन संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्वक किया जाए तो अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से निपटा जा सकता है। किंतु लोग भौतिक विकास की इस दौड़ में पर्यावरण का संरक्षण करने के बजाए, विनाश करते जा रहे हैं। प्रकृति का विनाश ही सुनामी, बाढ़, सूखा, अनियमित वर्षा-चक्र तथा संक्रामक रोगों के रूप में हमें निगलने लगा है। अनेक पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता जैसे- अरुंधती राय, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, संदीप पांडे, सुनीता नारायण आदि के संघर्षों के बावजूद प्रकृति का दोहन जारी है। विकास के नाम पर प्रकृति के इस विनाश को बाजार ने बढ़ावा दिया है इस बात को विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। प्रश्न यह उठता है कि क्या पर्यावरण के बिना हमारा विकास संभव है? लोगों को विकास चाहिए या पर्यावरण? इन प्रश्नों का उत्तर हम जानना चाहते हैं, लेकिन इसका उपयुक्त जवाब दे पाना आसान नहीं है या यूँ कहें कि सैद्धांतिक स्तर पर प्रश्नों का उत्तर आसानी से दिया जा सकता है जबकि व्यावहारिक रूप से उत्तर देना बहुत कठिन है।

अब समय आ गया है कि समेकित रूप से पर्यावरण के प्रति महिलाओं में चेतना जागृति की जाए। गाँव की स्वच्छता, जल-माल का प्रबंधन, वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण आदि बातें तभी संभव होंगी जब गाँव की प्रत्येक व्यक्ति के साथ-साथ महिलाएँ भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रस्तुत शोध विषय में 'ग्रामीण वर्धा क्षेत्र की महिलाओं में पर्यावरण जागरूकता की स्थिति' का अध्ययन किया गया है।

शोध-प्रश्न

प्रस्तुत शोध से संबंधित साहित्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के संबंधों को लेकर काफी विचार-विमर्श हो रहा है। अधिकांश विमर्शों में महिलाओं की उपस्थिति न के बराबर है। पर्यावरण एवं महिला आंदोलन एक बहुत बड़ा विमर्श रहा है। परंतु विगत वर्षों में यह एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। प्रस्तुत शोध-कार्य में इसी तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध-कार्य के प्रमुख प्रश्न निम्नलिखित है-

1. क्या वर्धा जिले की ग्रामीण महिलाएँ पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं?
2. अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए महिलाओं द्वारा कैसे-कैसे कदम उठाए जा रहे हैं?
3. अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित व्यवहार को कितना शामिल कर रही हैं?
4. ग्राम पंचायत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु किस तरह का कदम उठाया जा रहा है?
5. पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?
6. क्या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सरकारी तथा गैर-सरकारी नीति एवं कार्यक्रमों की स्थिति सकारात्मक है?

उपर्युक्त प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को भी शामिल किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध-कार्य हेतु वर्धा जिले के, वर्धा तहसील में आने वाले 'गणेशपुर' गाँव का चयन किया गया है। क्योंकि वर्धा तहसील के उन पाँच गाँवों में से गणेशपुर

एक ऐसा गाँव है जिसे 'महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, के समाज कार्य विभाग के 'शिक्षक' एवं 'शिक्षार्थियों' द्वारा गोद लिया गया है।' इस गाँव में समय-समय पर समय कार्य विभाग की तरफ से तमाम सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि गाँव के लोग स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुखी जीवन व्यतीत कर सके। पाँच गाँवों में से 'गणेशपुर' को अध्ययन क्षेत्र में शामिल करने का एक कारण यह भी है कि अन्य चार गाँव (जिन्हें समाज कार्य विभाग द्वारा गोद लिया गया है) की तुलना में गणेशपुर की जनसंख्या सर्वाधिक है।

अध्ययन का निदर्शन

शोधकर्ता जब जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है, तो उसे 'उद्देश्यपूर्ण निदर्शन' कहते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में 'ग्रामीण वर्धा क्षेत्र की महिलाओं में पर्यावरण जागरूकता' का अध्ययन करने हेतु असंभावित निदर्शन (Non- Probability Sampling) के 'उद्देश्यपूर्ण प्रविधि' के द्वारा कुल 100 महिला/उत्तरदाताओं को शोध कार्य में सम्मिलित किया गया है।

आँकड़ों का स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन कार्य को पूरा करने के लिए प्रमुखता से क्षेत्रीय एवं प्रलेखीय दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। क्षेत्रीय स्रोतों में 'गणेशपुर' गाँव में रहने वाली महिला उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं को शामिल किया गया है। प्रलेखीय स्रोत में अध्ययन विषय से संबंधित पुस्तकों, प्रतिवेदन एवं पत्र-पत्रिकाओं आदि को शामिल किया गया है।

आँकड़ों का संकलन उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन कार्य में साक्षात्कार-अनुसूची तथा अवलोकन को मुख्य उपकरण के रूप में उत्तरदाताओं से सूचना एकत्र करने के लिए प्रयोग में लाया गया है।

आँकड़ों का परक्रमण

प्रस्तुत अध्ययन कार्य में अध्ययन विषय से संबंधित एकत्रित आँकड़ों का व्यवस्थित रूप से संपादन, संकेतन, एवं वर्गीकरण कर सारणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

निष्कर्ष

भारत संसार के उन थोड़े से देशों में से एक है जिनके संविधानों में पर्यावरण का विशेष उल्लेख है। पर्यावरण संबंधी सभी विधेयक होने पर भी भारत में पर्यावरण की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। नाले, नदियाँ तथा झीलें औद्योगिक कचरे से भरी हुई हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु तमाम नियम-कानून भले ही बनाया गया है परंतु वास्तविकता यह है कि इसे लोगों द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत कम लाया जा रहा है। इस दिशा में पर्यावरण नीति (2004) को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका ने भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों से स्वच्छ पर्यावरण मौलिक कर्तव्यों का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है। जनहित याचिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज तथा आम आदमी की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। यह इसके प्रयासों का ही फल है कि आज सरकार तथा नीति निर्माताओं की सूची में पर्यावरण प्रथम मुद्दा है। वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर हो गए हैं। प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिसंख्यक महिलाएँ पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। चाहे धार्मिक प्रतिबंध हो, परंपराएँ हो उनके माध्यम से ही वे जल,

जंगल और जमीन के अंगों और भंडारों की पूजा-अर्चना करती रही है लेकिन भौतिक चकाचौध, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, लालच की प्रवृत्ति ने पुरातन नियमों को तोड़-मरोड़कर पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचाया है। अब समय आ गया है कि समेकित रूप से इनमें पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत की जाए। गाँव की स्वच्छता, जल-माल का प्रबंधन, वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण आदि बातें तभी संभव होंगी जब गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के साथ-साथ महिलाएँ भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

यद्यपि पर्यावरण को संरक्षित करने में महिलाएँ अपनी सहभगिता सुनिश्चित कर रही हैं लेकिन कुछ ऐसी कमियाँ आज भी मौजूद हैं जो पर्यावरण संरक्षण के 'नकारात्मक' रूप को प्रस्तुत करती है जिसे बिंदुवार देखा जा सकता है- 1. पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियमों का पालन कठोरता पूर्वक नहीं हो रहा है। 2. पर्यावरण को प्रदूषित करने से (पेड़ों की कटाई, लाइट का अनायास प्रयोग, पानी का दूर उपयोग आदि) होने वाली समस्याओं के विषय में आम जन को (महिलाओं को मुख्यतः) जानकारी नहीं है।

सुझाव

- पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्ति का न्यूनतम विरोध होना चाहिए।
- नल के पानी को बेकार में न बहने दें। अर्थात् हर प्रकार के जल की बचत करें।
- पर्यावरण प्रदूषण के चलते होने वाली समस्याओं के विषय में लोगों को बताना चाहिए क्योंकि गाँवों में यह भ्रम व्याप्त है कि बीमारियाँ ईश्वरी देन है। यह संक्रमण से नहीं होता है।
- प्रत्येक व्यक्ति को उन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान में 'पर्यावरण संरक्षण' के विषय में की गई है।

- ग्राम पंचायत स्तर पर गठित 'स्वच्छता समिति' द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन तटस्थ रूप से करना चाहिए। इसके अंतर्गत गाँव के प्रत्येक तबको के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए